न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील /टीए/355/2005/बूंदी

1– हरिराम पुत्र शिवबक्ष जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम हीरापुर तहसील के0पाटन, जिला बूंदी (मृतक जरिए वारिसान)–
1/1– रतन बाई पत्नी हरिराम
1/2– महेश पुत्र हरिराम
1/3– सुशीला पुत्री हरिराम
1/4– फूलवती पुत्री हरिराम
1/5– सीमा पुत्री हरिराम
1/6– अनिता पुत्री हरिराम

...अपीलान्टस

बनाम

1– नंदकिशोर पुत्र भूरालाल (मृतक जरिए वारिसान)–
1/1– प्रेम
1/2– अशोक
1/3– सुमन
1/4– राजेश
1/5– जूली
1/6– बेबी
समस्त पुत्रान नंदकिशोर
1/7– फूलबाई बेवा नंदकिशोर
2– ओमप्रकाश पुत्र रामकिशन
3– विजय पुत्र मदनलाल
4– छोटूलाल पुत्र रामनारायण (मृतक जरिए वारिसान):–
4/1– उषा बेवा छोटू
4/2– सौरव पुत्र छोटू
5– जगदीश पुत्र रामनारायण
6– मोहनलाल पुत्र रामकिशन
7– हरिशंकर पुत्र शिवबक्स
समस्त जाति ब्राह्मण निवासी हीरापुर तहसील के0पाटन, बूंदी।

...रेस्पोन्डेन्टस

खण्ड पीठ
श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष
श्री रामदयाल मीणा, सदस्य

उपस्थितः–
श्री अनिल शर्मा, अभिभाषक अपीलान्टस।
श्री जी0एस0 लखावत, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्टस संख्या 1/1।

निर्णय

दिनांकः– 29.01.2025

यह अपील अपीलान्टस द्वारा अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा अपील संख्या 43/02 में पारित निर्णय दिनांक 19–10–2004 के विरूद्ध पेश की गई है।

2– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वर्तमान अपीलांट द्वारा एक राजस्व वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0पाटन के समक्ष अंतर्गत धारा 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा संख्या 219 रकबा 12 बीघा 14 बिस्वा वाकै ग्राम हीरापुर में स्थित है। जिसके खातेदार वर्तमान अपीलांट है तथा पास में रेस्पो0 का खेत है। दोनों खेतों की बीच मेड पर 25–30 वर्षो से मेहन्दी के पेड़ लगे हुए है जो पक्षकारों की हदबंदी है। अपीलांट/वादी अपने खेत में धोरा खुदवा रहे हैं, किन्तु रेस्पो0 वादी/अपीलांट को धोरा नहीं खोदने दे रहे हैं तथा अपीलांट की आराजी पर कब्जा करना चाहते हैं। अतः रेस्पो0 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें। रेस्पो0 ने विचारण न्यायालय के समक्ष अपना जवाबदावा पेश कर वाद के कथनों से इंकार किया। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 02.06.2000 तथा डिक्री दिनांक 04.05.2002 द्वारा वादी/अपीलांट का वाद स्वीकार किया । विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर रेस्पो0 ने प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के समक्ष प्रस्तुत की। जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 19.10.2004 द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया । अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट ने यह द्वितीय अपील मण्डल न्यायालय के समक्ष पेश की है।

3– हमनें उभयपक्षकारान के विद्वान अभिभाषगण की बहस सुनी।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं अभिलेख के प्रतिकूल होने से अपील के माध्यम से निरस्त किये जाने योग्य है । वर्तमान रेस्पो0 की अपील अपीलीय न्यायालय के समक्ष मियाद बाहर थी, जिसमें निर्णय पारित किए जाने में अपीलीय न्यायालय ने त्रुटि कारित की है। विचारण न्यायालय ने मौका कमिश्नर भी नियुक्त किया था एवं प्रस्तुत रिपोर्ट का अध्ययन कर निर्णय पारित किया था जबकि वर्तमान रेस्पो0 का यह कहना कि रिपोर्ट को रिकार्ड पर नहीं लेना चाहिए। यह ना तो न्यायोचित है और ना ही वैधानिक क्योंकि विचारण न्यायालय के समक्ष वर्तमान रेस्पो0 ने अपनी उपस्थिति भी दी और कार्यवाही में भी शामिल रहा है किन्तु दिनांक 13.03.2000 को नो इन्सट्रक्शन प्लीड कर के अनुपस्थित हो गए । अपीलीय न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 द्वारा ना तो मियाद माफी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया

और ना ही अपीलीय न्यायालय को मियाद बाहर अपील पर निर्णय का क्षेत्राधिकार था। जिसमें निर्णय पारित किए जाने में अपीलीय न्यायालय ने त्रुटि कारित की है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.10.2004 को निरस्त किया जावें तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0पाटन द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.05.2002 को बहाल रखे जाने के आदेश प्रदान करावें।

5– योग्य अधिवक्ता रेस्पो0 ने तर्क दिया कि अपीलीय न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत् है । आगे कथन किया कि पक्षकारान के खेत आपस में मिले हुए है। अपीलांट्स मेहन्दी के पेड़ों को हदबंदी बताते हैं जबकि हम इस तथ्य को नहीं मानते हैं। मेहन्दी के पेड़ों के बाद एक धोरा है जो पक्षकारों के खेतों की सीमा है। मेहन्दी के पेड़ रेस्पो0 के खेत में है। विचारण न्यायालय ने अपना निर्णय रेस्पो0 के विरूद्ध एकपक्षीय एवं बिना तनकीवार पारित किया है। अतः अपील अपीलांट्स खारिज की जावें।

6– हमनें योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख व आक्षेपित निर्णय का अवलोकन किया।

7– पत्रावली का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि अपीलांट्स के पति एवं पिता वादी हरीराम ने विचारण न्यायालय के समक्ष वाद पत्र अंतर्गत धारा 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया जिस पर विचारण न्यायालय ने निर्णय दिनांक 02.06.2000 को पारित कर प्रतिवादीगण/रेस्पो0 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया । विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर प्रतिवादीगण/रेस्पो0 ने राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के समक्ष प्रथम अपील पेश की जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 19.10.2004 के द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण विचारण न्यायालय को कुछ निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया । अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट्स ने यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की है ।

8– अपीलांट ने अपने अपीलमीमों के पैरा संख्या 4 में यह कथन किया है कि राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष न तो कोई मियाद माफी का प्रार्थना पत्र था और न ही मियाद बाहर अपील को निर्णय करने का क्षैत्राधिकार था । इस संबंध में विचारण न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 02.06.2000 को निर्णय पारित कर वाद स्वीकार किया गया तथा उक्त निर्णय के क्रम में विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 04.05. 2002 को डिक्री पारित की गई है । रेस्पो0 द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 02.06.2000 के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के न्यायालय में दिनांक 04.07.2002 को अपील मय प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधि0 के पेश की है । मियाद प्रार्थना पत्र में रेस्पो0/अपीलांट ने दिनांक 03.05.2002 को निर्णय व डिक्री की जानकारी होने का कथन कर विलंब क्षम्य किये जाने का निवेदन किया है । अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में अपील को 1000/–रू0 की

कोस्ट पर विलंब क्षम्य कर अपील स्वीकार की है । उक्त विवेचन के क्रम में अपीलांट द्वारा अपीलमीमों में उठाया गया उपरोक्त कथन सही प्रतीत नहीं होता है ।

9– पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में राजस्व विभाग के तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार से मौका रिपोर्ट नहीं ली जाकर अदालत में पैरवी करने वाले अधिवक्ता से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई है जिसके क्रम में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया है । चूंकि इस प्रकरण में मुख्य विवाद दोनों पक्षों की भूमियों की सीमा को लेकर होना प्रकट होता है । वादी खातेदार का यह कहना है कि उसकी सीमा में प्रतिवादी/रेस्पो0 हस्तक्षेप करते है, जबकि प्रतिवादी का यह कथन है कि वह उनकी सीमा में ही है । ऐसी स्थिति में हम राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा प्रतिप्रेषित किये गये निर्णय से तो सहमत है किन्तु हम विचारण न्यायालय से यह अपेक्षा भी रखते है कि पक्षकारों के मध्य मौके पर किसी प्रकार का विवाद खेतों की सीमा को लेकर नहीं हो इस हेतु तहसीलदार से दोनों पक्षों के सटे हुए खसरा नंबर की मौका रिपोर्ट राजस्व रिकार्ड मय नक्शा ट्रेस तलब कर नियमानुसार निर्णय पारित किया जावे । अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत् है जिसमें हमें कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है ।

10– उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट्स खारिज की जाती है । राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.10.2004 यथावत् रखा जाता है । साथ ही विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, के0पाटन को निर्देश दिये जाते है कि वे तहसीलदार से दोनों पक्षों के सटे हुए खसरा नंबर की मौका रिपोर्ट राजस्व रिकार्ड मय नक्शा ट्रेस तलब कर नियमानुसार निर्णय पारित करे ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(रामदयाल मीणा)
सदस्य

(हेमन्त कुमार गेरा)
अध्यक्ष